तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रणवीरसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार पीपाड़सीटी) सू.अ.अ. अपील संख्या 149 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रणवीरसिंह पुत्र गोपालसिंह निवासी प्लॉट नं. 05, कुबेरनगर फनवर्ल्ड के पीछे, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.06..19 में उसके द्वारा (1) ग्राम चौढा तहसील पीपाड़सीटी ख.नं. 183 व 183 / 153 भूमि विभाजन के आदेश की प्रमाणित व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़सीटी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना जरिये पत्रांक1704 दिनांक23.07.19 दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़सीटी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अजखुद उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार पीपाड़सीटी) से जरिये पत्रांक 2346 दिनांक 09.09.19. रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि तहसील कार्यालय पीपाड़शहर में ग्राम चौढा के खसरा नम्बर 183 रकबा 58.19 बीघा का जरिये अपंजीकृत वसीयत का दिनांक 19.09.2014 को वाद प्र.सं. 02 / 2014 दर्ज की जाकर विधिक प्रकिया अपनाकर दिनांक 20.01. 2016 को निर्णय किया गया जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 1955 दिनांक 01.08.19 के द्वारा प्रार्थी रणवीरसिंह को भिजवाई गई। अपीलार्थी ने अपील में जाहिर किया कि उन्होनें सूचना शुल्क के लिए 100/– रूपये पोस्टल ऑर्डर जमा करवाये गये परन्तु 35 पृष्ठीय सूचना नहीं दी गई, उसमें वसीयत की प्रति भी नहीं थी। आज तहसील कार्यालय के प्रतिनिधि ऑफिस कानूनगों ने उपस्थित होकर प्र.सं. 02 / 2014 की सम्पूर्ण प्रति की फोटो प्रतियां भी इस कार्यालय को प्रेषित की गई तथा प्रार्थी के नाम जारी पत्र के साथ भी पुनः पत्रावली की फोटो प्रतियां 50 साथ लाये वो अपीलार्थी को दी गई, उक्त सूचना में वसीयत की प्रति भी संलग्न है। चूंकि अपीलार्थी का आज ही 50 पृष्ठीय सूचना दी जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	